न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

– 156/2015

उनवान

शिव पिता लादु जाट नि0 डगास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————(प्रार्थी)

बनाम

तुलदास पिता गंगाराम वैष्णव नि0 डगास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
लादु कालबेलिया पिता नामालूम नि0 भटेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
हरदेव पिता गोपाल ब्राहमण नि0 डगास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 09.05.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 30.11.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2069 से की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम भटेडा पटवार क्षैत्र घरटा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र डाबला ल बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 531 के आ0न0 1768/1461 रकबा 1–08 बीघा हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम घरटा मे दिनांक 2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। मिसल का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निंविवादित पाता हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

ग्राम भटेडा पटवार क्षैत्र घरटा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र डाबला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 531 के आ0न0 1768/1461 रकबा 1–08 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात कारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस /– रूपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प घरटा मे सरे इजलास सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी